हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग ।

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-ई0(3) -43/2006-खण्ड-I तारीख शिमला-171002, 2 जनवरी, 2010

अधिसूचना

प्रारूप संशोधन नियम नामतः हिमाचल प्रदेश वन (अधिकारधारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2009 सम संख्यक अधिसूचना तारीख 13 अक्तुबर, 2009 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से 21 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश आसाधारण में 14 अक्तुबर, 2009 को प्रकाशित किये गए थे;

अब हितबद्ध व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों/सुझावों की प्राप्ति एवम् उनके विशलेषण के पश्चात हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम,1927 (1927 का 16) की धारा 32 के खण्ड (एल) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात

1 . संक्षिप्त नाम.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2010 है।

2. परिभाषायें.-(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) 'सरकार' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ख) पद 'गरीबी रेखा से नीचे' का वही अर्थ होगा जो इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा समनुदेशित है;

(ग) 'अधिकार धारक' से अधिकार अभिलेख में सम्बन्धित क्षेत्र की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट के अनुसार अभिलिखित अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हकदार व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) 'अधिकार अभिलेख' से वन बन्दोबस्त रिपोर्टों में अभिलिखित अधिकार अभिप्रेत हैं;

(ङ) 'ईमारती लकड़ी वितरण' हर्क्ति वन बन्दोबस्त रिपोर्टों में अभिलिखित अधिकार-अभिलेख के अनुसार अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी के वितरण की नीति (पालिसी) अभिप्रेत है; और

(च) 'ईमारती लकड़ा' वितरण अधिकार से अधिकार धारक जिसके पास कृषि योग्य भूमि है, को सम्बन्धित क्षेत्र की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में अभिलिखित अधिकार धारक के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतू आवासिक मकान एवं गौशाला आदि के निर्माण हेतू ईमारती लकड़ी मंजूर (प्रदान) करने के अधिकार अभिप्रेत हैं।

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उनके हैं।

3. **हकदारी.-** ईमारती लकड़ी, उन अधिकार धारकों, जिनके वास्तविक घरेलू उपयोग हेतू आवासिक मकान, गौशाला इत्यादि के निर्माण/रखरखाव के लिए ईमारती लकड़ी वितरण को मंजूर (प्रदान) करने के लिए सम्बन्धित वन बन्दोबस्त रिपोर्टों में अभिलिखित अधिकार हैं, को मंजूर की जाएगी:-

परन्तु यह कि.-

(i) शहरी क्षेत्रों में ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा;

(ii) यदि सम्बन्धित अधिकार धारक की निजी (प्राइवेट) भू-धृति पर आवासिक मकान, गौशाला आदि के निर्माण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वृक्ष उपलब्ध हो तो, सम्बन्धित अधिकार धारक को कोई ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा। तथापि, उसे हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम,1978 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपनी निजी भूमि से वृक्षों को गिराने (काटने) का अधिकार होगा;

(iii) यदि अधिकार धारक ने अपनी निजी (प्राइवेट) भू-धृति में से ईमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्षों का विक्रय किया है तो उसे दस वर्ष तक कोई ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा;

(iv) यदि अधिकार धारक (बर्तनदार) की एक से अधिक स्थानों पर भू-धृति हो तो उसे केवल एक स्थान पर ही ईमारती लकड़ी का वितरण (टी0डी0) लेने

का विकल्प होगा। इस प्रयोजन के लिए अधिकार धारक एक शपथ पत्र, जिसमें विभिन्न स्थानों पर उसके ईमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) अधिकारों तथा उस स्थान जहां उसने ईमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) प्राप्त करने का विकल्प चुना है स्पष्ट करते हुए, प्रस्तुत करेगा। विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया हो तो उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(v) इन नियमों के अधिसूचित होने की तिथि से ऐसे भू- स्वामियों को जिन्होंने अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् भूमि क्रय की हो, कोई ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा, ऐसा भूमि के क्रय की तिथि को लिहाज में न रखते हुए किया जाएगा;

(vi) ईमारती लकड़ी का वितरण केवल परिवार के मुखिया को ही राजस्व अभिलेख के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा;

(vii) वाणिज्यिक और भाड़े के प्रयोजनों हेतू उपयोग में लाये जाने वाले भवनों के निर्माण/रखरखाव के लिए ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा;

(viii) अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण नहीं किया जाएगा यदि उस वन जहाँ पर सम्बन्धित अधिकार धारको का ईमारती लकड़ी वितरण अधिकार हो, में प्रयोजन हेतू वृक्ष वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध न हो;

(ix) अधिकार धारकों का ईमारती लकड़ी वितरण का अधिकार, वन संरक्षण में उनके सहयोग और सहभागिता के अध्यधीन होगा। यदि कोई अधिकार-धारक अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने के कार्य में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है या वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में यथा अन्तर्विष्ट कोई वन अपराध करता है तो उसका ईमारती लकड़ी वितरण का अधिकार दस वर्ष तक के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा;

(x) यदि कोई अधिकार धारक ईमारती लकड़ी वितरण मंजूरी का दुरूपयोग करता हुआ पाया जाता है या कोई वन अपराध करता है तो उसके ईमारती लकड़ी वितरण अधिकार को 10 वर्ष तक के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा जब तक वह पुनः ईमारती लकड़ी वितरण के लिए पात्र नहीं हो जाता।

4. **परिमाण (मात्रा).**- (1) अधिकार धारकों को अलग से विर्निदिष्ट किए जाने वाले डिपुओं से, निम्न नियत मापदण्डों पर ईमारती लकड़ी का वितरण, संपरिवर्तित रूप में, स्वीकृत किया जाएगा :-

(i) नये आवास के निर्माण हेतू = 3 घनमीटर ; और
(ii) अनुरक्षण हेतू = 1 घनमीटर

(2) ईमारती लकड़ी का वितरण नाश रक्षित (सालवेज) (गिरे हुए, सूखे खड़े) में से वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध हरे वृक्षों में से वरीयता के अनुसार दी जाएगी।

5. **नियतकालिकता.**- अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) स्वीकृत करने की नियतकालिकता (समयावधि) इस प्रकार होगी :-

(i) नए भवन निर्माण के लिये जीवन में एक बार या तीस वर्ष, जो भी पश्चात वर्ती हो ;

(ii) परिवर्धन/परिवर्त्तन के लिये पन्द्रह वर्ष में एक बार, ; और

(iii) नए प्राकृत्तिक आपदाओं के पीड़ितों/अग्नि पीड़ितों के लिए : वास्तविक आवश्यकता (अपेक्षा) के अनुसार उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा की गई सिफारिश पर और संबद्ध सहायक अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन के पश्चात् नियम 4 के अधीन विहित अधिकत्तम मात्रा से अनधिक की मंजूरी के अध्यधीन।

6. **दरें .**- विभिन्न अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी हेतु प्रभारित की जाने वाली दरें निम्न प्रकार से होंगी :-

(i) गरीबी रेखा से ऊपर के अधिकार-धारक को:
उन दरों का 30% जिनपर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (लिमिटिड) द्वारा वाणिज्यिक तौर पर ईमारती लकड़ी की बिक्री की गई है;

(ii) गरीबी रेखा से नीचे के अधिकार धारक को:
उन दरों का 10% जिनपर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (लिमिटिड) द्वारा वाणिज्यिक तौर पर ईमारती लकड़ी की बिक्री की गई है;

(iii) प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित अधिकार-धारक को: निशुल्क।

7. **ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतू प्राथमिकता.-** ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतू गरीबी रेखा से नीचे के अधिकार-धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबी रेखा से ऊपर के अधिकार-धारकों को ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

8. **ईमारती लकड़ी वितरण मंजूरी की प्रक्रिया.-** ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतू आवेदन, इन नियमों से उपाबन्ध-I के रूप में संलग्न प्रारूप में अधिकार-धारकों द्वारा सम्बन्धित पटवारी से आवश्यक टिप्पण (रिमार्क) प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बन्धित पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत अधिकार-धारकों की आवश्यकता (अपेक्षा) की असलीयत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात्, सम्बन्धित व्यक्ति(यों) के ईमारती लकड़ी के वितरण की आवश्यकता (अपेक्षा) के वास्तविक परिमाण (मात्रा) को उपदर्शित करते हुए पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करेगी। सम्बन्धित पंचायत द्वारा ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी की सिफारिश का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् अधिकार-धारक अपनी ईमारती लकड़ी के वितरण हेतू आवेदन क्षेत्र के वन रक्षक (गार्ड) को प्रस्तुत करेगा, जो, इसे, इस प्रयोजन के लिए रखे रिजस्टर में दर्ज करेगा और आवेदन की पावती अधिकार-धारक को जारी करेगा। वह माँग की असलीयत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों को खण्ड अधिकारी को भेजेगा, जो अपनी सिफारिशों को वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी से ईमारती लकड़ी वितरण हेतू आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् वन मण्डल अधिकारी, स्वंय,

माँग की असलीयत और सम्बन्धित वन में वृक्षों/ईमारती लकड़ी की वनवर्धित (सिल्वीकल्चरली) उपलब्धता का समाधान होने पर ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतू कार्रवाई करेगा और इन नियमों से उपाबन्ध-II के रूप में संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित अधिकार-धारक को ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी के बारे अपना विनिश्चय सूचित करेगा। वन मण्डल अधिकारी द्वारा ईमारती लकड़ी वितरण मंजूरी हेतू एक अनुसूची बनाई जाएगी और उसे वन मण्डल की समस्त पंचायतों और अन्य कृत्यकारियों को प्रचार हेतू अधिसूचित किया जाएगा।

9. **ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी हेतू समय अनुसूची.-** अधिकार धारक ईमारती लकड़ी के वितरण की मंजूरी हेतू सम्बन्धित वन रक्षक को सम्बन्धित पंचायत के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक आवेदन करेंगे। नियम 8 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई (प्रोसैस) की जाएगी और पात्र अधिकार धारकों को उस वर्ष के सितम्बर से दिसम्बर के मध्य ईमारती लकड़ी का वितरण किया जाएगा और तत्पश्चात् उस वर्ष के लिए ईमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा।

10. **ईमारती लकड़ी वितरण के उपयोग के लिए अधिकारिता:-** इन नियमों के अधीन मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण हैम्बर लगाने के पश्चात् ईमारती लकड़ी को किसी भी अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना, राजस्व सम्पदा के भीतर ले जाने की अनुमति होगी, और यदि ईमारती लकड़ी को एक सम्पदा से दूसरी सम्पदा में ले जाना हो, तो, अधिकार-धारक को इस प्रयोजन हेतू सम्बन्धित वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। अधिकार-धारक द्वारा मंजूर ईमारती लकड़ी का उपयोग अधिकत्तम एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। यदि मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जा सके, तो सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी मामले की असलीयत के आधार पर इसके उपयोग हेतू समयावधि के विस्तारण की मंजूरी देगा। वन मण्डल अधिकारी अपने कर्मचारिवृन्द के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण का उपयोग उसी प्रयोजन हेतू किया गया है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी। यदि मंजूर ईमारती लकड़ी वितरण का अनुज्ञेय अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया गया है तो उसे वन विभाग द्वारा जब्त किया जा सकेगा और वन मण्डल अधिकारी द्वारा ईमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी के सम्बन्ध में लिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

11. **डिपो.-** उन डिपुओं जहाँ से अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण परिवर्तित रूप में किया जाएगा को प्रत्येक वर्ष वन मण्डल अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। आगामी वर्ष के दौरान इन डिपुओं के स्थान परिवर्तन को भी अधिसूचित किया जाएगा। इन अधिसूचनाओं को वन मण्डल अधिकारी द्वारा पंचायत स्तर तक व्यापक रूप में परिचालित किया जाएगा।

12. **वितरित की जाने वाली ईमारती लकड़ी का आकार और आयाम (लम्बाई-चौड़ाई).-** वितरित की जाने वाली ईमारती लकड़ी को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतू तैयार किये जाने वाले मानक आकारों से भिन्न,विभिन्न आकारों में परिवर्तित और विक्रय किया जाएगा।

13. **आंकड़ा संचय (डाटा वेस)की मानीटरिंग और निरीक्षण.-** अधिकार धारकों के ब्यौरा, अधिकार धारकों द्वारा प्रयोग किये गए विकल्पों, लकड़ी वितरण की मंजूरी आदि से सम्बन्धित आंकड़े सम्बन्धित पंचायत द्वारा और रेंज (परिक्षेत्र) वार वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुरक्षित और मानीटर किए जांएगे। यह डाटा (आंकड़ा) मुख्य अरण्यपाल वन (मानीटर एवं मूल्यांकन) द्वारा सुन्दरनगर में पुनश्च मानीटर और मूल्यांकित किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन हिमाचल प्रदेश को भेजी जाएगी।

14. **शास्ति एंव दण्ड.-** अधिकार धारक जो,-

(i) वाणिज्यिक प्रयोजन हेतू ईमारती लकड़ी वितरण का दुरूपयोग करते हैं ;

(ii) वितरित की गई ईमारती लकड़ी (टी0डी0) का विक्रय करते हैं ;

(iii) अनुज्ञा के बिना राजस्व सम्पदा की अधिकारिता से बाहर ईमारती लकड़ी का परिवहन करते हैं ;

(iv) परमिट (अनुज्ञा पत्र) में दी गई समय अनुसूची के अवसान के पश्चात् वितरित की गई ईमारती लकड़ी (टी0डी0) का उपयोग करते हैं ;

(v) वन बन्दोबस्त रिपोर्ट उल्लिखित कर्त्तव्यों का, अधिकारों सहित, सहित निर्वहन नहीं करते हैं ;

को सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसी अवधि हेतू उनके अधिकारों के निलम्बन के अतिरिक्त, भारतीय वन अधिनियम,1927 के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ.-

(1) सरकार या हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा, अधिकार धारकों (बर्तनदारों) के लिए ईमारती लकड़ी वितरण सम्बन्धी बनाए एवं जारी किए गए विद्यमान नियमों, अधिसूचनाओं, निर्देशों एवं अनुदेशों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन या विखण्डन के होते हुए भी ऐसे निरसित नियमों और इस प्रकार विखण्डित अधिसूचनाओं, निर्देशों और अनुदेशों तत्स्थानी के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उपाबन्ध-I

प्ररूप

(नियम-8 देखें)

ईमारती लकड़ी वितरण की स्वीकृति हेतू आवेदन के लिए प्रपत्र

1. आवेदक का नाम ____________________
2. व्यवसाय ____________________
3. पिता का नाम ____________________
4. परिवार के सदस्यों की संख्या ____________________
5. क्या आवेदक परिवार का मुखिया(कर्त्ता) है ____________________
6. गाँव ____________________
7. डाकघर ____________________
8. तहसील ____________________
9. जिला ____________________
10. पंचायत ____________________
11. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से समबन्धित है। यदि हाँ, तो

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

12. वर्ष जिसमें टी0डी0 पहले दी गई थी और मंजूर की गई टी0डी0 की मात्रा/ वृक्षों की संख्या ____________________

13. प्रयोजन जिसके लिए टी0डी0 अपेक्षित है। ____________________
(चाहे वह नये आवासीय मकान/ गौशाला बनाने के लिए या मुरम्मत के लिए) ____________________

14. अपेक्षित टी0डी0 का ब्यौरा

प्रजाति	घनमीटर में मात्रा	जंगल का नाम जिसमें अधिकार दर्ज है।

15. मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ :-

i) टी0डी0 की आवश्यकता शहरी क्षेत्र में निर्माण/मुरम्मत के लिए नहीं है ।

ii) मकान/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्ष मेरी भूमि पर उपलब्ध नहीं है ।

iii) मैंने पिछले 10 वर्षो में अपनी भूमि से 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम के अन्तर्गत मैंने किन्हीं भी वृक्षों का विक्रय नहीं किया है।

iv) मेरी भूमि केवल एक स्थान/एक से अधिक स्थानों पर अर्थात ______________ __________ स्थान पर टी0डी0 प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र वन मण्डल अधिकारी को दिया जा चुका है/संलग्न है।

v) मैं मूल अधिकार धारक हूँ और परिवार का मुख्यिा भी हूँ।

vi) मैंने हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम,1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भूमि क्रय नहीं की है ।

vii) मैं, घर के निर्माण/मुरम्मत के प्रयोजन के लिए मुझे प्रदान की गई टी0डी0 का उपयोग, वाणिज्यिक/किराए के प्रयोजन के लिए नहीं करूंगा।

viii) मैं समझता हूँ कि टी0डी0 अधिकारों सहित अधिकार तथा रियायतें वन संरक्षण में अधिकार धारकों के सहयोग और सहभागिता के अध्यधीन है तथा मैं वन अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने इत्यादि हेतू अपने कर्त्तव्यों का पालन करुंगा, और

ix) मैं टी0डी0 ग्रान्ट का दुरूपयोग नहीं करूंगा और वन विभाग के इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों/अनुदेशों का पालन करूंगा।

तारीखः____________ (आवेदक के हस्ताक्षर)
बड़े अक्षरों में नाम____________

पंचायत कां सत्यापन/रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री________________सपुत्र श्री_________________ गांव ______________मौजा _____________का स्थाई निवासी है तथा परिवार का मुखिया है। आवेदक की लकड़ी की अपेक्षा वास्तविक है और उसे _______________घनमीटर लकड़ी घर/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत के लिए अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न है।

प्रधान ग्राम पंचायत की मुहर
तारीखः_____________ एवं हस्ताक्षर ।

पटवारी की रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री________________सपुत्र श्री_________________ गांव ______________मौजा _____________का स्थाई निवासी है। आवेदक कृषि योग्य भूमि खसरा नं0_________रकबा का मालिक है और ________ रूपये सालाना भू0 राजस्व के रूप में अदा करता है और उसके टी0डी0 में पेड़ प्राप्त करने के अधिकार हैं। वह परिवार का मुखिया है।

तारीख____________ हल्का पटवारी के हस्ताक्षर

वन रक्षक की रिपोर्ट

i) आवेदक ने पिछले 30 वर्षों में नए आवासीय घर/गौशाला के निर्माण के लिए टी0डी0 के अन्तर्गत अपने जीवनकाल में पेड़ प्राप्त नहीं किये हैं/आवेदक ने पिछले 15 वर्षों में आवासीय घर/गौशाला की मुरम्मत के लिए टी0डी0 के अन्तर्गत टी0डी0 प्राप्त नहीं की है।

ii) आवेदक ने 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में अपनी जमीन से कोई पेड़ नहीं बेचे हैं ।

iii) आवेदक की अपनी निजी भूमि में खड़े पेड़ नहीं है ।

iv) आवेदक ने वन सम्पदा को कोई हानि/क्षति नहीं पहुँचाई है/वन भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है और आवेदक के विरूद्ध वन अपराध के बारे में कोई क्षतिपूर्ति रिपोर्ट/प्राथमिकि सूचना/न्यायालय मामला (कोर्ट केस) आदि लम्बित नहीं है।

v) ईमारती लकड़ी की अपेक्षा______________________कार्य के लिए है ।

vi) आवेदक वन संरक्षण में पूर्ण सहयोग देता है ।

vii) आवेदक को__________घनमीटर परिवर्तित लकड़ी__________डिपू से मंजूर (स्वीकृत) की जाये।

viii) टी0डी0 में मंजूरी के लिए संस्तुत पेड़/टिम्बर उस वन में वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध है जहाँ पर अधिकार-धारक के टी0डी0 अधिकार हैं ।

तारीखः____________ वन रक्षक के हस्ताक्षर

बीट____________

वन खण्ड अधिकारी (ब्लॉक आफिसर) की रिपोर्ट

i) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दिये गए तथ्य (कथन) एवम् वन रक्षक द्वारा दिये गए प्रमाण पत्र सही हैं।

ii) मैंने नए आवासीय घर/गौशाला के निर्माण स्थल/आवासीय घर/गौशाला की मुरम्मत स्थल जहाँ पर टी0डी0 का प्रयोग प्रस्तावित है, का दौरा/निरीक्षण किया है एवं वन का भी दौरा/निरीक्षण किया है और आवेदक को _______प्रजाति की__________ घनमीटर लकड़ी स्वीकृत कर दी जाए जो कि उस वन में वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध है ।

वन खण्ड अधिकारी (ब्लॉक आफिसर) के हस्ताक्षर

तारीखः____________ वन खण्ड________________

वन परिक्षेत्र अधिकारी की रिपोर्ट

आवेदक की आवश्यकता वास्तविक है और उसे ______प्रजाति की_______ घनमीटर लकड़ी__________डिपो से मंजूर (स्वीकृत) की जाए, जिसके लिए पेड़ वनवर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध हैं।

हस्ताक्षर______________

तारीखः____________ वन परिक्षेत्र अधिकारी________

वन मण्डल अधिकारी द्वारा स्वीकृति

आवेदक को एतदद्वारा ______प्रजाति की_______ घनमीटर लकड़ी__________डिपो से स्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर________________
तारीखः______________ वन मण्डल अधिकारी_________
____________ वन मण्डल।

अनुबन्ध-II

प्ररूप

(नियम-8 देखें)

संख्याः
हिमाचल प्रदेश वन विभाग।

प्रेषक

वन मण्डल अधिकारी,
__________वन मण्डल,
____

प्रेषित

श्री/श्रीमति___________
गांव___________डाकघर___________
तहसील_______जिला__________हि0 प्र0

तारीख ______________________

विषयः टी0डी0 मंजूर (प्रदान) करने बारे ।

श्री मान जी,

आपके आवेदन पत्र तारीख _______________के सन्दर्भ में ।

2. आपके घर/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत के लिए_____________प्रजाति की________घनमीटर लकड़ी प्राप्त करने बारे प्राप्त आवेदन पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया व निर्णय लिया गया है कि :-

घर/गौशाला के निर्माण/मुरम्मत के लिए_________प्रजाति की________ घनमीटर लकड़ी_________ डिपो से मंजूर की जाए। डिपो से लकड़ी मंजूरी की तारीख से

_______ मास के भीतर उठाई जाएगी और_________ मास के भीतर या समय बढ़ौतरी के भीतर यदि कोई हो, प्रयोग की जाएगी अन्यथा आपके द्वारा टी0डी0 में प्राप्त लकड़ी जब्त किए जाने हेतू दायी होगी।

अथवा

आपके टी0डी0 आवेदन-पत्र पर विचार किया गया और निम्नलिखित आधारों पर रदद् कर दिया गया :-

----

भवदीय,

वन मण्डल अधिकारी,
_________वन मण्डल ।

पृष्ठांकन संख्या____________________ तारीख ________________________

प्रतिलिपि वन राजिक_____________को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
_________वन मण्डल,

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याएफ0एफ0ई0-बी0-ई0(3) -43/2006-खण्ड-। तारीख शिमला-2, 2.1.2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0 प्र0 सरकार।
2. प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हि0 प्र0, शिमला- 171 001
3. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी), हि0 प्र0, शिमला- 171 001
4. प्रबन्ध निदेशक, हि0 प्र0 राज्य वन विकास निगम सिमित, कसुम्पटी, शिमला-9

5. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल/मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी, हि0प्र0 ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवम् लेखन सामग्री विभाग घोड़ा चौकी, शिमला-5 को हि0प्र0 राजपत्र (असाधारण)में प्रकाशन हेतु। उपरोक्त की पाँच प्रतियाँ इस विभाग को भेजी जाएं ।
8. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
9. अवर सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
10. उप विधि परामर्श एवं-उप सचिव(विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी-।। विधि विभाग, सचिवालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
12. संरक्षण नस्ति ।
13. अतिरिक्त प्रतियां (50)

हस्ता/-
उप सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार